



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062024-254590  
CG-DL-E-06062024-254590

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946

No. 148]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2024

सार्वजनिक सूचना सं. 09/2024

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के एनएफ-4च के तहत आवेदकों के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 2(ख) में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/121/एम 24/पीसी-4.-समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त षवित्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के एनएफ-4च के तहत आवेदकों के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 2(ख) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

एनएफ-4च का उक्त पैरा 2(ख) निम्नानुसार संशोधित किया है:

(ख) मानित निर्यातों के लिए:

- i. सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए जीएसटी ई-बिलों और संबंधित ई-वे बिलों की प्रतियाँ (तथापि, जहाँ सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए ई-बिल और संबंधित ई-वे बिल बताए गए कारणों से प्रदान नहीं किए जा सकते हैं,

आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित ई बिल की प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)।

- ii. प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.30 के संदर्भ के अंतिम निर्यातक (अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक या डीएफआईए धारक) द्वारा निर्यात के लिए सीधे पत्तन पर मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पाद की आपूर्ति के मामले में, घरेलू आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ शिपिंग बिल की प्रति जैसा कि मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता ने अंतिम निर्यातक और मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के फाइल सं./प्राधिकार पत्र सं. के साथ पृष्ठांकित किया है, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- iii. ई-बीआरसी
- iv. स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार और विधिवत प्रमाणित निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए निर्यात की गई वस्तुओं में की गई आपूर्ति/निर्यात और आयात तथा इनपुट्स के वास्तविक खपत का विवरण।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** मानित निर्यात के मामले में प्रक्रिया को सरल बनाने और ईओडीसी लागू करने के लिए अनुपालन बोझ को कम करने हेतु प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के एएनएफ-4च के तहत आवेदकों के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 2(ख) में संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2024

**Public Notice No. 09/2024**

**Subject:** Revision in Para 2 (b) of the 'Guidelines For Applicants' under ANF-4F of Handbook of Procedures 2023.

**F. No. 01/94/180/121/AM24/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Para 2 (b) of the Guidelines For Applicants under ANF-4F of Handbook of Procedures 2023

**The said Para 2 (b) of ANF 4 F is as amended given below.**

(b) For Deemed Exports -

- i) Copies of system generated GST e- invoices and corresponding e-way bills.( However, where system generated e- invoices and corresponding e-way bills cannot be provided for reasons to be stated, Copy of invoices or a statement of invoices, duly certified by the GST authorities of supplier/recipient may be furnished.)
- ii) In case of supply of the product by the Intermediate supplier to the port directly for export by the ultimate exporter (holder of Advance Authorisation or DFIA) in terms of paragraph 4.30 of HBP, copy of the shipping bill with the name of domestic supplier as Intermediate supplier endorsed on it along with the file No./Authorisation No. of the ultimate exporter and the intermediate supplier shall be required to be furnished.
- iii) e-BRCs
- iv) Statement of supplies / exports and imports made and actual consumption of inputs in the items exported towards discharge of export obligation prepared and duly certified by Independent Chartered Accountant.

**Effect of this Public Notice:** Para 2 (b) of the 'Guidelines For Applicants' under ANF-4F of Handbook of Procedures 2023 has been revised to simplify the procedure and reduce the compliance burden for applying EODC in case of deemed exports.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.